(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4476/2018/धार/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 25.06.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 132/अपील/2017-18/धार.

---

1. अंतरसिंह पिता श्री बोंदरजी रघुवंशी
2. अमृत पिता श्री बोंदरजी रघुवंशी
3. ओमप्रकाश पिता श्री बोंदरजी रघुवंशी
4. ओमप्रकाश पिता श्री बोंदरजी रघुवंशी

a) कमलसिंह पिता श्री ओमप्रकाश रघुवंशी

b) राकेशसिंह पिता श्री ओमप्रकाश रघुवंशी

उक्त सभी निवासी ग्राम सुलावड, सेक्टर नंबर 3, तहसील व जिला धार, म.प्र.

c) मंजूबाई पति रामेश्वर पिता श्री ओमप्रकाश रघुवंशी
निवासी ग्राम घणसौदा, तह. व जिला सीहोर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती मीराबाई पति श्री बलराम (पिता बोंदरजी रघुवंशी)
निवासी ग्राम आंसुखेड़ी, तह. व जिला धार, म.प्र.
2. श्रीमती हीराबाई पति श्री लक्ष्मण (पिता बोंदरजी रघुवंशी)
निवासी ग्राम खेड़ा, तह. व जिला धार, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री पी.एल. मालवीय, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अखिलेश शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 25.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सुलवाड तहसील व जिला धार स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 76, 102, 104/2, 109/1, 113/2, 128/1, 211, 323, 327 एवं 439 कुल सर्वे नंबर 10 कुल रकबा 4.930 हैक्टेयर जो भूमिस्वामी केसरबाई बेवा बोंदरसिंह, ओमप्रकाश, अंतरसिंह, अमृतसिंह, हीराबाई, मीराबाई पिता बोंदरसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, जिसका बंटवारा नामांतरण पंजी क्र. 09 आदेश दिनांक 07.5.2009 से किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिकागण मीराबाई एवं हीराबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, धार के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.05.2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.05.2009 निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25.06.2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) बोंदरसिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 12.10.1998 को ग्राम सुलावड तहसील व जिला धार में हो गया होने से स्व. बोंदरसिंह जी के नाम के स्थान पर हल्का पटवारी के प्रतिवेदन पर से राजस्व अभिलेख में स्व. बोंदरसिंह जी के समस्त पुत्रों एवं पुत्रियों का नाम फौती नामांतरण के रूप में नामांतरित कर दिया गया, जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार मृतक बोंदरसिंह के द्वारा छोड़ी गई पैतृक कृषि भूमि में केवल मृतक के पुत्रों को एवं मृतक की पत्नी को ही उत्तराधिकार प्राप्त रहा था। मृतक बोंदरसिंह जी की मृत्यु दिनांक 12.10.1998 को मृत पिता की अचल संपत्ति में तत्समय पुत्रियों को वैधानिक रूप से कोई उत्तराधिकार ही प्राप्त नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में बोंदरसिंह जी के द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि में अनावेदकगण (पुत्रियों) का नामांतरण हो जाने पर भी उन्हें कोई अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि खसरा में मात्र नामांतरण हो जाने को ही

हक या अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत 2003 आर.एन. 383 प्रस्तुत किया गया है।

(2) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो कि 2005 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित किया गया - धारा - 6 विभाजन के लिए वाद - अंतवर्लित प्रश्न - क्या हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 भूतलक्षी प्रभाव रखेगा ? - माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त हेतु नकारात्मक निर्णय पारित करते "नहीं" शब्द का प्रयोग किया है। उक्त संशोधन 2005 के बाबद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो दिनांक 20.12.2004 से प्रभावशील हुआ वास्ते वर्ष 2005 के पूर्व मृतक व्यक्ति के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में पुत्रियों को कोई भी अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। वर्ष 2005 या उसके पश्चात् मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में पुत्रियों को उत्तराधिकार उक्त हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से प्राप्त हुए हैं और इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूतलक्षी भी नहीं ठहराया है। इस संबंध में 2015(4) एस.सी.सी.डी. 2199 सुप्रीम कोर्ट(एस.सी.) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(3) बोंदरसिंह की मृत्यु उपरांत आवेदकगण का नामांतरण हो गया, उस नामांतरण को अनावेदकगण द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई। कथित नामांतरण से अनावेदकगण को कोई हक अर्जित नहीं होते हैं, फिर भी आवेदकगण की दोर्बलता का अनावेदकगण द्वारा कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता। इस कारण अनावेदकगण के पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत एम.पी.व्हीकली नोट 2006 (2) नोट नं. 139 पेज नं. 361 प्रस्तुत किया गया है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अत: प्रकरण का निराकरण प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किया जाना उचित होगा।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण एवं अनावेदकगण के संयुक्त नाम पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज रही है। नामांतरण पंजी पर बनाई गई बंटवारा फर्द एवं पंचनामें पर अनावेदकगण के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त बंटवारा तीनों भाईयों को लगभग समान

अंश भूमि प्राप्त हुई है, जबकि अनावेदकगण को उनकी माता के साथ भूमि का छोटा सा अंश भाग बंटवारे में दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा किया गया बंटवारा समान अंश में नहीं है और न ही बंटवारे के संबंध में अनावेदकगण को कोई सूचना दी गई हो, ऐसा कोई प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, उक्त आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

अत: उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर